तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...
15-6-2021	पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के कारण कोई हाजिर नहीं। शासनादेशानुसार पत्रा० दि० 29-6-2021 को पेश हो।	
29-7-2021	पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के कारण कोई उप० नहीं। शासनादेशानुसार पत्रावली दि० 7-7-2021 को पेश हो।	
7-7-2021	वकील उभयपक्ष उप० हैं। बहस को समय चाहते हैं। बहस हेतु पत्रावली दि० 20-7-2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

1. [illegible] पुत्र अर्जुन, माली निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
2. [illegible]लाल पुत्र अर्जुन, माली निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
3. सुगर पुत्री अर्जुन पत्नी गिर्राज, माली निवासी बाटोदा तह0 बामनवास
4. संतरा पुत्री अर्जुन पत्नी केदार, माली निवासी नंदपुरा तह0 गंगापुर सिटी
5. हल्की पुत्री अर्जुन पत्नी बाबूलाल, माली नि. बाढमोहनपुर तह0 बामनवास
6. फूलवती पुत्री अर्जुन पत्नी जसराम,माली नि. बाटोदा तह. बामनवास
7. काडी बेबा अर्जुन, माली निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मीठया पुत्र गेन्दया, माली निवासी नौगॉव तह0 गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थितः श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट, वादीगण की ओर
श्री तरूण शर्मा, एड., प्रति. सं. 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ख0न0 1106/1223 रकबा 0.28 है0 ग्राम अरनिया की खातेदारी वादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता व वादी संख्या 7 के पति अर्जुन पुत्र फैली के नाम दर्ज है तथा ख0न0 1106 रकबा 0.50 है0 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। पक्षकारान अपनी अपनी भूमि पर काबिज रहकर फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादीगण मृतक खातेदार अर्जुन पुत्र फैली के वारिस व खातेदार है एवं उसकी खातेदारी की भूमि ख0न0 1106/1223 रकबा 0.28 है0 स्वयं के नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। पक्षकारो के मध्य अपनी अपनी भूमि को लेकर कभी विवाद नही रहा है परन्तु सन 2014 मे वादीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करने के लिए पटवारी हल्का से कहा तो पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर बताया कि तुम्हारी यह भूमि है। पटवारी हल्का ने प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की भूमि को वादी की भूमि नक्शा ट्रेस मे होना बताया तथा प्रतिवादी को वादी की भूमि उसकी होना बताया। वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 ने पटवारी से कहा कि आप उल्टा बता रहे है मौके पर कब्जे अनुसार ख0न0 1106 जो खातेदारी मे प्रतिवादी की भूमि है नक्शे मे गलत रूप से ख0न0 1106/1223 डाल दिये है तथा वादी की भूमि दर्ज कर रखी है को प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 16:14:25 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible]

[illegible] है अर्थात नक्शा ट्रेस मे वादीगण की भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का [illegible] 1106 डाल दिया है व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि मे वादीगण का [illegible] डाल दिया है। मौके पर पक्षकारान अपने अपने खातेदारी के रकबे पर [illegible] है। इसलिए वादीगण का जो नक्शा ट्रेस वर्तमान मे है उसकी [illegible] की जाकर वादी की खातेदारी का ख0न0 1106/1223 को वर्तमान [illegible] दर्ज ख0न0 1106 के स्थान पर दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] भूमि ख0न0 1106 जो वर्तमान नक्शा ट्रेस मे दर्ज ख0न0 1106/1223 के स्थान पर दर्ज किया जावे। इसी अनुसार इन्द्राज किये जावे। अतः वादग्रस्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण डिक्री फरमाया जाकर हॉल नक्शा ट्रेस ग्राम अरनिया मे दर्ज ख0न0 1106 के स्थान पर ख0न0 1106/1223 दर्ज करने तथा वर्तमान मे दर्ज ख0न0 1106/1223 के स्थान पर ख0न0 1106 दर्ज करने की घोषणा की जावे। इसी अनुसार नक्शा ट्रेस इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा की जावे तथा ख0न0 1106/1123 रकबा 0.28 है0 की खातेदारी मृतक अर्जुन पुत्र फैली के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके कब्जे व खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम अरनिया खाता संख्या 4, खाता संख्या 164, नकल नक्शा ट्रेस, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.18 उनवानी मुकदमा अर्जुन बनाम मीठया न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, नकल जमाबंदी संवत 2028–2031, नकल जमाबंदी संवत 2028–31, नकल साबिक नक्शा ट्रेस, नकल हॉल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत होकर दिनांक 5.8.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया है जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। राजीनामे मे पक्षकारों ने अंकित किया है कि उनवानी प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एवं पॉच आदमियो की समझाइश से पक्षकारो मे राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] दर्ज ख0न0 302 के स्थान पर नया
[illegible] है परन्तु साबिक नक्शे मे दर्ज ख0न0 1106/1223 दर्ज नही कर ख0न0 1106 दर्ज कर दिया है। जो [illegible] संख्या 1 मीठया की भूमि है। इसी प्रकार साबिक ख0न0 304/1 [illegible] ख0न0 1106 को नक्शा ट्रेस मे गलत रूप से साबिक ख0न0 302 मे [illegible] कर नया नक्शा बनाया है जो गलत है। वादीगण व प्रतिवादी को भूमि [illegible] जमाबंदी मे सही दी है परन्तु नक्शा ट्रेस मे ख0न0 की अदला बदली कर [illegible] है। जिसकी दुरूस्ती की जाकर साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के हॉल ख0न0 वर्तमान नक्शा ट्रेस मे दर्ज किये जावे अर्थात हॉल नक्शा ट्रेस मे ख0न0 1106 के स्थान पर ख0न0 1106/1223 तथा ख0न0 1106/1223 के स्थान पर ख0न0 1106 दर्ज कर दिया जावें। इसी अनुसार दावा वादीगण डिक्री कर दिया जावे। वादीगण मृतक खातेदार अर्जुन के वारिस है, इनकी खातेदारी अर्जुन के स्थान पर दर्ज की जावे। मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री कर दिया जावे।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2028–31, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल साबिक व हॉल नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में दर्ज ख0न0 1106 के स्थान पर ख0न0 1106/1223 एवं ख0न0 1106/1223 के स्थान पर ख0न0 1106 अंकित होना उचित है। साथ ही भूमि ख0न0 1106/1123 रकबा 0.28 है0 की खातेदारी घोषणा अर्जुन पुत्र फैली के स्थान पर वादीगण के नाम होना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1106/1123 रकबा 0.28 है0 ग्राम अरनिया का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि अर्जुन पुत्र फैली के नाम [illegible] की जाकर वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज की जावे। इसी प्रकार ग्राम अरनिया के हॉल नक्शा ट्रेस मे दर्ज ख0न0 1106 के स्थान पर ख0न0 1106/1223 एवं ख0न0 1106/1223 के स्थान पर ख0न0 1106 अंकित करने का भी आदेश दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

श्रीमन वगैरा बनाम मीठया वगैरा, दावा

...ता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती की ...वे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील ...खिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]   [illegible]

[illegible]

1. [illegible] पुत्र अर्जुन, माली निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
2. [illegible]यन्तीलाल पुत्र अर्जुन, माली निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्री अर्जुन पत्नी गिर्राज, माली निवासी बाटोदा तह0 बामनवास
4. संतरा पुत्री अर्जुन पत्नी केदार, माली निवासी नंदपुरा तह0 गंगापुर सिटी
5. हल्की पुत्री अर्जुन पत्नी बाबूलाल, माली नि. बाढमोहनपुर तह0 बामनवास
6. फूलवती पुत्री अर्जुन पत्नी जसराम,माली नि. बाटोदा तह. बामनवास
7. काडी बेबा अर्जुन, माली निवासी अरनिया तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मीठया पुत्र गेन्दया, माली निवासी नौगॉव तह0 गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —80/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1106/1123 रकबा 0.28 है0 ग्राम अरनिया का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि अर्जुन पुत्र फैली के नाम से हजफ की जाकर वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज की जावे। इसी प्रकार ग्राम अरनिया के हॉल नक्शा ट्रेस मे दर्ज ख0न0 1106 के स्थान पर ख0न0 1106/1223 एवं ख0न0 1106/1223 के स्थान पर ख0न0 1106 अंकित करने का भी आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.7.2021 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested